न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 73/2016

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.जमना पुत्री कानाराम पत्नि पुनाराम जाति भील निवासी ग्राम झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 2.लेहरी पुत्री कानाराम पत्नि पुनाराम जाति भील निवासी–ग्राम झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. सांवतराम पुत्र लक्षमणराम 2. भैराराम पुत्र लक्ष्मणराम 3. शैतानराम पुत्र केशाराम 4. सोनाराम पुत्र केशाराम 5. बीजाराम पुत्र केशाराम सभी जाति भील निवासी ग्राम झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध म्यूटेशन संख्या 807 ग्राम झंवर जागीर द्वारा तहसीलदार, जोधपुर स्वीकृत किया गया, जिसके व्यथित होकर यह अपील पेश हैं

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मोती सिंह राजपुरोहित
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री अशोक चौधरी।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 की ओर से अभिभाषक श्री कानाराम गोदारा।

:–: आ दे श :–:

दिनांकः 27.11.2017

यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्व नामान्तकरण संख्या 807 ग्राम झंवर जागीर का जो तत्कालीन तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के प्रस्तुत की गयी है। जिसे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वक्त बंदोबस्त ग्राम झंवर के खसरा नं 603 रकबा 314.08 बीघा तत्कालीन जागीरदार भगवतकरण वल्द प्रतापकंवर के नाम दर्ज था। बन्दोबस्त के समय उक्त खसरे में से 164 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त केशीया, काना, लच्छा पुत्र शम्भु कौम भील का दर्ज था तथा जागीरी प्रथा समाप्त होने पर उक्त 164 बीघा भूमि उक्त तीनों व्यक्तियों के खातेदारी में दी गई है जो जमाबन्दी सम्वत 2015 के इन्द्राज से स्पष्ट है।

कानाराम उर्फ कानीया का देहान्त हो जाने पर उसकी पत्नि बिदामी उर्फ गंगा के नाम म्युटेशन संख्या 660 दर्ज किया गया, उस वक्त अपीलान्ट नाबालिग थी एवं तत्कालीन प्रथा अनुसार नाबालिग वारिसान के नाम म्युटेशन दर्ज नहीं किया जाता था इसलिए अपीलान्ट की माता के नाम ही विरासत का म्युटेशन दर्ज किया गया। अपीलान्ट मृतक कानीया पुत्र शंभु व उसकी पत्नि बिदामी उर्फ गंगा की जायन्दा पुत्रियां है। कानाराम के कोई पुत्र नहीं है।

अपीलान्ट का विवाह हो जाने के पश्चात् वे अपनी पति के साथ ससुराल में रहती है व अपीलान्ट कीमाता ग्राम झंवर में अपने पति के पैतृक घर में रहती थी एवं खसरा नम्बर 603 के 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। अपीलान्ट की माता का देहान्त दिनांक 14.08.2016 को हो गया। सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अपीलान्ट द्वारा क्रियाक्रम सम्पन्न करने के पश्चात् दिनांक 30.08.2016 को मृत्यु प्रमाण पत्र करके विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का का रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद अपीलान्ट की माता का नाम दर्ज नहीं है। पूरी भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है। म्यूटेशन की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थियों के अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायायलय में प्रस्तुत करने पर इसे पंजीबद्व की जाकर संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री अशोक चौधरी ने वकालत नामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3,4,5 की ओर से अभिभाषक श्री कानाराम गोदारा ने अपना वकालतनाम प्रस्तुत किया। प्रकरण से संबंधित मूल नामान्तकरण संख्या 807 उप तहसीलदार झंवर से तलब किया गया जो प्राप्त हो गया है । उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 15.11.2017 को सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23.11.2017 को रखी गयी।

अपीलार्थिया के विद्वान अभिभाषक अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को द्वारा दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम झंवर जागीर का जो तत्कालीन तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के प्रस्तुत की गयी है। जिसे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वक्त बंदोबस्त ग्राम झंवर के खसरा नं 603 रकबा 314.08 बीघा तत्कालीन जागीरदार भगवतकरण वल्द प्रतापकंवर के नाम दर्ज था। बन्दोबस्त के समय उक्त खसरे में से 164 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त केशीया, काना, लच्छा पुत्र शम्भु कौम भील का दर्ज था तथा जागीरी प्रथा समाप्त होने पर उक्त 164 बीघा भूमि उक्त तीनों व्यक्तियों के खातेदारी में दी गई है जो जमाबन्दी सम्वत 2015 के इन्द्राज से स्पष्ट है। कानाराम उर्फ कानीया का देहान्त हो जाने पर उसकी पत्नि बिदामी उर्फ गंगा के नाम म्युटेशन संख्या 660 दर्ज किया गया, उस वक्त अपीलान्ट नाबालिग थी एवं तत्कालीन प्रथा अनुसार नाबालिग वारिसान के नाम म्युटेशन दर्ज नहीं किया जाता था इसलिए अपीलान्ट की माता के नाम ही विरासत का म्युटेशन दर्ज किया गया। अपीलान्ट मृतक कानीया पुत्र शंभु व उसकी पत्नि बिदामी उर्फ गंगा की जायन्दा पुत्रियां है। कानाराम के कोई पुत्र नहीं है।

अपीलार्थिया के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायायालय का म्युटेशन मय बंटवारा आदेश दिनांक 08.02.1983 ऐबईनिसियो वॉईड एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य बताया गया है। उन्होनें यह भी कथन किया कि अधीनस्थ्य तहसीलदार द्वारा पारित आदेश मनमाना पूर्ण विधि विरूद्व व आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। तथाकथित फार्म में भी रेकर्डेड खातेदार श्रीमति बिदामी पत्नि कानाराम के कोई हस्ताक्षर, सहमति व स्वीकृत दर्ज नहीं है। एवं रेकर्डड खातेदार की स्वीकृति व सहमति बिना रेकर्ड से उसका नाम हटाकर उसे अपने अधिकारों से वंचित नहीं किय जा सकता।

अपीलार्थिया अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि तहसीलदार के समक्ष जो बंटवारा फार्म पेश हुआ उसमें स्वंय तहसीलदार ने यह इन्द्राज दर्ज किया कि मृतक कानाराम के दो लड़किया शादीसुदा है उसके बावजूद भी ना तो अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया गया न ही अपीलान्ट की माता को कोई सूचना दी गई। एवम वारिसानों की जानकारी होते हुए भी अन्य खातेदारों के पक्ष में म्यूटेशन दर्ज कर दिया गया है जो विधि विरूद्व है। उक्त विवाग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है जो उत्तराधिकार के हक के निहित है उसे वंचित नहीं किया जा सकता।

अपीलार्थिया के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्यूटेशन ऐब ईनिसियो वॉईड है जिसे किसी भी समय चुनौति दी जा सकती है। अपीलान्ट की माता को देहान्त हो जाने के पश्चात् अपीलान्ट के द्वारा पटवारी हल्का से अपने हिस्से की भूमि को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का निवेदन किया। अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों का उल्घंन है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर बिदामी पत्नि कानाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाये।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3,4,5 के विद्वान अभिभाषक श्री कानाराम गोदारा ने अपनी बहस शुरू करते हुए कथन किया कि अपीलार्थिया केपिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता थे व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के पिता सगे भाई थे। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो जाने पर अपीलान्ट कीमाता के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में अपीलान्ट की माता का नाम राजस्व रेकर्ड से किसी कार्यवाही जरिये हटाया गया उसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को नहीं है तथाकथित बंटवारा किया गया उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। अपीलान्ट के माता का नाम बंटवारे की कार्यवाही के वक्त हटाया गया।

अपीलान्ट संख्या 3 से 5 तक के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं 4363/1997 निर्णय दिनांक 1 फरवरी 2006 की ओर दिलाकर निवेदन किया कि अनुसूचित जन जाति के समुदाय में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अनुसूचित जन जाति के समुदाय में उनके रिती–रिवाज के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाता है। इस समुदाय में महिला द्वारा विवाह करने के बाद वह अपने पैतृक सम्पति में हिस्सा नहीं मांग सकती है। अतः उक्त एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं 4363/1997 निर्णय दिनांक 1 फरवरी 2006 के अनुसार अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य होना बताया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक श्री अशोक चौधरी ने कथन किया कि इस प्रकरण में श्री कानाराम गोदारा अभिभाषक द्वारा की गई बहस से मैं सहमत हूँ और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

हमनें उभय पक्ष अभिभाषगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवम पत्रावली का भी विस्तृत अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं 4363/1997 निर्णय दिनांक 1 फरवरी 2006 का भी अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि अपीलार्थिया मृतक कानाराम की जायन्दा पुत्रियां

है। अपीलार्थिया जाति भील जो अनुसूचित जन जाति के समुदाय की है और इस समुदाय में लड़कियों का विवाह हो जाने के पश्चात् वह अपने पिता की पैतृक सम्पति में हकदार नहीं होना बताया गया है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं 4363/1997 निर्णय दिनांक 1 फरवरी 2006 के अनुसार पैरा संख्या 10 में यह उल्लेखित किया हैः—

"Similarly, the widow after remarriage is not having any right overthe land belonging to the husband and the married daughter is also not having any right over the ancestral property of the father. In view of provision of Section 2 of Hindu Succession Act and ratio decided by Hon'ble Supreme Court, the judgement passed by the Board of Revenue is per se illegal and contrary to the provision of law. The judgment dated 18-10-1995 passed by the Board of Revenue and order dated 25-04-1997 passed on review application are hereby quashed and set aside. The order dated 12-11-1987 passed by the Assistant Collector and order dated 25-03-1989 passed by the Revenue Appellate Authority are upheld".

इस प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम झंवर जागिर तहसील लूणी के नामान्तकरण संख्या 807 का भी अवलोकन किया गया। इस नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में यह अंकन किया है कि ''राजस्व शिविर कैम्प झंवर में आपसी रजाबंदी के अनुसार सहायक जिलाधीश, जोधपुर के आदेश से प्रार्थीगणों के शेड्यूल मुताबिक नामान्तकरण भरा गया और तत्कालीन तहसीलदार, जोधपुर ने उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में दिये गये आदेश के मुताबिक स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थिया ने इस अपील मीमो में नामान्तकरण संख्या 807 के विरूद्व अपील पेश की है जबकि स्वीकृत नामान्तकरण के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थिया की सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांकः 27.11.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।